(घ) 31 विशिष्ट उद्योगों के लिए बहिस्राव व उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। जल एवं वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। उद्योगों को विहित मानकों के अनुरूप समुचित शोधन प्रणाली लगाने का निदेश दिया गया है। दोषी यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

देश में वनों का विनाश

68. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल कितने क्षेत्र में वन हैं तथा राजस्थान के कितने क्षेत्र में वन हैं; सरकार द्वारा वनों के विनाश विशेष रूप से वन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वनों का विनाश रोके जाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक वानिकी पर कितनी धनराशि व्यय की है और इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई और क्या वास्तव में कोई पेड़ लगाये गये हैं और क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में खर्च की गई धनराशि की कोई लेखा परीक्षा की गई है; यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में सामाजिक वानिकी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले और गबन का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 75.14 मिलियन हेक्टेयर है। तथापि, भारतीय वनसर्वेक्षण ने 64.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की रिपोर्ट दी है। राजस्थान में 3.16 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। वन विनाश को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय अनुपत्र-1 के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक देश में सामाजिक वानिकी पर 1524.5 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इस अवधि के दौरान 5.656 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं।

(ग) राजस्थान में 1984-85 से 1988-89 तक सामाजिक वानिकी पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि एवं उस अवधि में वन लगाए गए क्षेत्र का विवरण अनुपत्र-2 में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में खर्च की गई धनराशि की लेखा परीक्षा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राजस्थान में सामाजिक वानिकी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले और गबन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

अनुपत्र–1

वन विनाश को रोकने के लिए किए गए उपाय

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को 1988 के संशोधनों द्वारा और अधिक कठोर बनाया गया है।

(2) राज्य वन सुरक्षा कार्मिकों की शक्ति को बढ़ाना।

(3) वनों की सुरक्षा हेतु कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों

में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(4) पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(5) वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :

(1) प्राकृतिक वनों को पूर्ण कटाई से बचाना और इस प्रकार की कटाई जहां अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

अनुपत्र–2

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)	पौध लगाए गए क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1984-85	1,880.00	57,647.00
1985-86	1,536.80	47,900.00
1986-87	3,376.13	67,051.00
1987-88	2,847.84	58,693.50
1988-89	3,202.00	65,500.00
कुल	12,842.77	296,792.00

भारतीय शांति सेना के श्रीलंका में मारे गए सैनिकों के परिवारों को मुआवजा। रोजगार

69. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में अभी तक भारतीय शान्ति सेना के कितने सैनिक मारे गए हैं, उनके परिवारों के सदस्यों को कितनी-कितनी सहायता राशि व मुआवजा दिया गया है ; और

(ख) क्या उनके परिवारों के किन्हीं सदस्यों को नौकरी दी गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) श्रीलंका में 28 फरवरी, 1990 तक भारतीय शांति सेना के कुल 1155 सैनिक मारे गए, उनके परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन संबंधी लाभ के रूप में 3.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) श्रीलंका में मारे गए भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के लगभग 500 आश्रितों को अब तक विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नौकरी दी जा चुकी हैं ।

Pension and other facilities provided to widows of soldiers

70. DR. ABRAR AHMED KHAN.-Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the amount of pension and other facilities being provided to the widows of the soldiers killed so far while defending the country and what steps are being taken by Government to provide **employment tO** their children; and